भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3074 जिसका उत्तर

शुक्रवार, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है

पत्तनों में रिक्तियां

†3074. श्री डी. एम. कथीर आनंद :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा इसके सभी अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों में रिक्तियों को भरने के लिए कोई कदम उठाया है/ उठाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्रालय के तत्वावधान में सभी सहायताप्राप्त संस्थानों, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 1.7.2024 तक पदस्थ पदों की स्थिति क्या है;और

(ग) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों की रिक्तियों को भरने के लिए कोई विशेष भर्ती अभियान शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क):मौजूदा भर्ती नियमों के अनुसार, रिक्तियों के भरे जाने की प्रक्रिया पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्राललय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ और सभी अन्य कार्यालयों द्वारा लगातार चलाई जाती है।

(ख):दिनांक 01.07.2024 के अनुसार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सभी अन्य कार्यालयों से संबंधित कुल 19448 पद भरे हुए हैं।

(ग):रिक्तियों को भरते समय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के आरक्षण हेतु मौजूदा प्रावधान का अनुसरण किया जाता है।

*****